न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बल्दरखा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर (आर.ए.एस.)

प्र0स0 – 13/17

उनवान

1 श्री हेमेन्द्र सिंह पिता समरथ सिंह राजपूत निवासी बनेडा, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा

.... प्रार्थी

बनाम

1 श्री डुंगरसिंह पिता सुज्जान सिंह राजपूत निवासी झांतल, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा (डीलीट)
2 श्री कजोड सिंह पिता सुजान सिंह राजपूत निवासी झांतल, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा (डीलीट)
3 तेजसिंह पिता सुजान सिंह राजपूत निवासी झांतल, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा (डीलीट)
4 सोजर बैवा गजानन्ददास वैष्णव निवासी झांतल, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा
5 महावीर पिता गणपतदास वैष्णव निवासी झांतल, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा
6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बनेडा, जिला भीलवाडा

.. विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– **श्री कृष्णकुमार जीनगर – वकील प्रार्थी**

–:: आदेश ::–

दिनांक 08.05.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि **प्रार्थी** ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 03.01.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम झांतल पटवार मण्डल **बल्दरखा** तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में **प्रार्थीगण की** खातेदारी की भूमि खाता संख्या 418 के आराजी संख्या **153, 154 कुल किता 2 कुल रकबा 00–06 बीघा** दर्ज रिकॉर्ड है जिसके कोई पुख्ता सीमाचिह्न नहीं होने की वजह से विपक्षीगण पड़ौसियान से अकसर विवाद होता रहता है। **प्रार्थीगण** ने विपक्षीगण को अपनी आराजियात बाबत् पत्थरगढ़ी कराने के लिए कहा किन्तु उनके द्वारा इन्कार कर दिए जाने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः **प्रार्थी** की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये समन तलब किया गया। इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प बल्दरखा में पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणो को सूचनापत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 4 से 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। शेष विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की प्राप्त अदम तामिल रिपोर्ट में उक्तगण का फॉत होना अंकित आया इस पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने केम्प विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने बाबत निवेदन करते हुए प्रमाण में आदेशिका पर इसका अंकन कर हस्ताक्षर किये गये। प्रार्थी पक्ष को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं मनन किया गया। **प्रार्थी** उक्त आदेश की चरण सं. 1 में वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। अतः **प्रार्थी** का प्रार्थनापत्र न्याय हित में लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य है।

–:: आदेश::–

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम झांतल पटवार मण्डल **बल्दरखा** तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा जिला भीलवाडा में प्रार्थीगण खातेदारी की भूमि में खातेदार है। खाता संख्या 418 के आराजी संख्या **153, 154 कुल किता 2 कुल रकबा 00–06 बीघा** खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश पारित किये जातें है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक उपरेडा को 300/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण खाते की पत्थरगढी हेतु अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान व वर्तमान जमाबंदी में अंकित समस्त पक्षकारान को उपरोक्त सामलाती आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगें, उभयपक्ष पक्षकारान की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें अन्यथा नही तथा मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.05.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बल्दरखा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा